

**स्व-सहायता समुह से हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य
से संबंधित मेन्टनेन्स हेतु
निविदा प्रपत्र**

निविदा सूचना क्रमांक-2089

नवा रायपुर, दिनांक-28.11.2020

// निविदा प्रपत्र //

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रुपये 590/- जीएसटी सहित(वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रुपये 50,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि	दिनांक 22.12.2020 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 22.12.2020 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 22.12.2020 समय 4:00 बजे सायं तक

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19

नवा रायपुर अटल नगर फोन नं. 0771-2512536

Web :- www.cg.nic.in/samvad, Email :- cgsamvadadv@gmail.com

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

फोन- 0771-2512536

निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद हेतु मानव संसाधन, विद्युत प्लम्बिंग कार्य से संबंधित मेंटेनेंस एवं सिक्युरिटी गार्ड हेतु अनुभवी फर्मों से एवं हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य हेतु स्व-सहायता समूहों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा प्रपत्र जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार है :-

क्र.	निविदा	निविदा क्रमांक एवं दिनांक	निविदा प्रपत्र शुल्क, GST सहित (वापसी योग्य नहीं)	अमानत राशि (बिना ब्याज के वापसी योग्य)	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि (दोपहर 2:00 बजे तक)	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि (दोपहर 3:00 बजे तक)	निविदा प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि (सायं 4:00 बजे)
1	मानव संसाधन की सेवा हेतु	2087 28.11.2020	1,180/-	1,00,000/-	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020
2	विद्युत प्लम्बिंग मेंटेनेंस कार्य एवं सिक्युरिटी गार्ड हेतु	2088 28.11.2020	590/-	50,000/-	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
3	हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य	2089 28.11.2020	590/-	50,000/-	22/12/2020	22/12/2020	22/12/2020

उपरोक्त निर्धारित तिथि को अपरान्ह 3:00 बजे तक निविदा प्रस्ताव बंद लिफाफे में छत्तीसगढ़ संवाद भवन के प्रथम तल, कक्ष क्रमांक FF-12 में जमा किया जा सकता है। अपरान्ह 3:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा संबंधी अधिक जानकारी के लिए नियम शर्त एवं निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के नियम शर्तों या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

छत्तीसगढ़ संवाद

नवा रायपुर अटल नगर

**स्व-सहायता समुह से हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य से संबंधित
मेन्टेनेन्स हेतु निविदा (टेक्निकल बिड)**

1. निविदाकार स्व-सहायता समुह का नाम :-
2. पेन नंबर (पेन की प्रति संलग्न करें।) :-
4. जी.एस.टी. नंबर-यदि हो तो(जी.एस.टी. पंजीयन:-
की प्रति संलग्न करें।)
5. समुह का ई.पी.एफ. कोड नंबर (प्रति संलग्न करें।):-
6. समुह का ई.एस.आई.सी. नंबर (प्रति संलग्न करें।):-
7. लेबर लाईसेंस नंबर (प्रति संलग्न करें) :-
8. कार्यालय पता :-
:-
.....
.....
.....
- दूरभाष एवं मोबाईल नं. :-
9. निवास का पता :-
.....
.....
- दूरभाष नं./मोबाईल नं: :-
10. धरोहर राशि जमा करने का विवरण :- **छत्तीसगढ़ संवाद** के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट
क्रमांकदिनांक.....
(राशि रु. 50,000 /- पचास हजार रुपये मात्र का)
बैंक का नाम/शाखा
11. निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करने का विवरण :- **छत्तीसगढ़ संवाद** के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट
क्रमांकदिनांक.....
(राशि रु. 590 /- पांच सौ रुपये मात्र।)
12. अनुभव संबंधी विवरणी (नियोक्ता से जारी :-
अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।)

(निविदाकार के हस्ताक्षर)
सील मुद्रा

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

स्व-सहायता समुह से कार्यालय परिसर की हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य हेतु निविदा/भावपत्र की नियम एवं शर्तें

1. निविदाकर्ता समुह को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगमित निकाय/सार्वजनिक संस्थानों में साफ-सफाई तथा रखरखाव कार्य का एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। निविदाकार स्व-सहायता समुह को अनुभव प्रमाण पत्र, लेबर लायसेंस, ईपीएफ, ईएसआईसी, पेन नंबर, जीएसटी पंजीयन (यदि हो तो) एवं अन्य पंजीयन की स्वप्रमाणित छायाप्रति मूल निविदा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदाकर्ता को निविदापत्र/भावपत्र आवेदन शुल्क रु. 590/- (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रु. 50,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) का छत्तीसगढ़ संवाद के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा करना होगा। बिना धरोहर राशि (Earnest Money) के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। चयनित स्व-सहायता समुह को छत्तीसगढ़ संवाद में उपलब्ध कराए गए सफाई कर्मियों के वेतन भुगतान की सुरक्षा के रूप में अनुबंध निष्पादन के पूर्व राशि रु. 5 लाख का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ संवाद में जमा करना होगा।
3. निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के नियम-शर्तों या अन्य किसी प्रकार का संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।
4. **निविदा की पात्रता हेतु न्यूनतम मापदण्ड :-**
 1. शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य से संबंधित कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो। साक्ष्य हेतु नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य संबंधी वार्षिक टर्नओवर कम से कम **रु. 25 लाख होने का चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र में हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य के टर्न ओवर का उल्लेख होना अनिवार्य है।**
 3. वैधानिक पंजीयन जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लेबर एक्ट आदि के अन्तर्गत वैध पंजीयन हो। पंजीयन प्रमाण-पत्रों, पेन कार्ड की प्रतियां टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा करना होगा।
 4. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जमा आयकर रिटर्न की प्रति। वित्तीय वर्ष 2019-20 की एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एवं ईएसआईसी की जमा ईसीआर चालान की प्रतियां। जीएसटी पंजीकृत फर्म/समुह को वित्तीय वर्ष 2019-20 की जमा GST R-1 एवं GST R-3B रिटर्न की प्रतियां जमा करना होगा।
5. छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के कार्यालय भवन परिसर की सम्पूर्ण सफाई के अंतर्गत संलग्न **अनुसूची-1** अनुसार, भूतल (2820.50 sqm), प्रथम तल (844 sqm), द्वितीय तल (912 sqm), तृतीय तल (405 sqm), छत (400 sqm), तहखाना (3135.46 sqm), टॉयलेट-बाथरूम (23 nos.), समस्त कमरों, हाल, बरामदा, टायलेट, बाथरूम, लेट्रिन, वाशबेसिन, मूत्रालय, दरवाजे, खिड़कियां, वेन्टीलेटर, ग्रील्स, पार्टीशन सीलिंग, फर्नीचर, आलमारियां, रैक, पंखे सहित अन्य उपकरण, कार्यालय के चारों ओर का बाहरी क्षेत्र भी शामिल माना जायेगा।

6. सफाई कार्य के अंतर्गत झाड़ू, पोछा, धुलाई, डस्टिंग, जाला, दाग धब्बों की सफाई, ग्लास की सफाई, पंखे, कुर्सी-टेबल एवं अन्य आवश्यक साफ-सफाई इत्यादि करना होगा। सफाई में उपयोग होने वाले सामग्री उच्च क्वालिटी के सामग्री का इस्तेमाल किया जाना होगा एवं चयनित संस्था को सम्पूर्ण साफ-सफाई सुनिश्चित करना होगा।
7. समस्त सफाई कर्मियों पुरुष को गहरे नीले रंग की फुल पैट व हाफ शर्ट तथा महिला को गहरे नीले रंग की साड़ी एवं ब्लाउज/सलवार-सूट एवं खाकी रंग का एप्रिन में आना होगा। वर्दी की व्यवस्था निविदाकार समुह को स्वयं के व्यय पर करना होगा।
8. सभी तरह की सफाई के लिए उपकरण, दुर्गन्धनाशक, कीटनाशक, एसिड, परफ्यूम, डिश इंफेक्टेड सामग्री इत्यादि निविदाकार द्वारा स्वयं लाया जावेगा। समस्त सामग्री उच्च गुणवत्तायुक्त मानक स्तर की होनी चाहिए। सफाई से संबंधित समस्त सामग्रियों, उपकरणों की पूर्ति नियुक्त निविदाकार समुह को स्वयं करनी होगी।
9. कार्यालय परिसर से निकलने वाले कचरें, कूड़ा करकट, मलमा इत्यादि को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित क्षेत्र/कन्टेनर में प्रतिदिन डालना होगा।
10. छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर किसी भी सफाई कर्मचारी की दुर्घटना या शारीरिक क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार स्व-सहायता समुह की होगी।
11. न्यूनतम दर वाले फर्म/समुह के साथ सेवा अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। न्यूनतम वित्तीय दर दो या दो से अधिक फर्मों/समुह की समान होने की स्थिति में टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में हाउसकीपिंग साफ-सफाई संबंधी कार्य की अधिक अनुभवी फर्म से न्यूनतम दर पर सेवा ली जाएगी। न्यूनतम (L1) दर की गणना सामग्री पर व्यय, सफाई कर्मचारी पर व्यय एवं एजेंसी सर्विस चार्ज के महायोग से की जाएगी। न्यूनतम (L1) दर पर न्यूनतम दर वाले समुह/फर्म द्वारा कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में L2 फर्म/समुह को L1 दर पर कार्य देने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
12. कार्यालयीन समय 10 बजे तक (सुबह 8.00 से 10:00 तक) सफाई का कार्य पूर्ण किया जाना होगा। तदुपरांत अपरान्ह 04.00 बजे तक पुनः सफाई का कार्य सम्पादित करना होगा, इसके अलावा कार्यालयीन समय में आवश्यकतानुसार साफ-सफाई सुनिश्चित करना होगा। अवकाश के दिनों में कार्यालय की धुलाई, जाला, कचरा, मलमा इत्यादि की सफाई करना होगा।
13. निविदाकार को छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समस्त प्रचलित एवं समय समय पर जारी नियमों, निर्देशों, आदेशों और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा जिसमें प्रचलित लेबर एक्ट, कर्मचारी भविष्य निधि, आयकर अधिनियम, दुर्घटना बीमा नियम सहित अन्य संबंधित समस्त नियमों का पालन एवं उसके अनुरूप अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा। कर्मचारियों के ईपीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी (पंजीयन हो तो) आदि वैधानिक देय राशि का भुगतान नियत समय के अंदर करना अनिवार्य होगा। भुगतान पश्चात साक्ष्य/ईसीआर चालान की प्रतियां प्रतिमाह छत्तीसगढ़ संवाद में उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद ही आगामी माह के देयकों का भुगतान किया जाएगा।
14. सफाई के कार्य में लगाये जाने वाले समस्त कर्मचारियों की फोटो सहित नाम, वर्तमान एवं स्थाई पता इत्यादि एवं चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर कार्यालय में जमा करना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र सत्यापन आदि के उत्तरदायी चयनित फर्म/समुह की होगी।

15. सफाई कार्य का निरीक्षण के दौरान एवं उपरांत दिये गये निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। उचित साफ सफाई न होने पर अथवा किसी अधिकारी की शिकायत आने या निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में रु. 500/- (पांच सौ रु. मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड किया जावेगा। जिसकी कटौती भुगतान किये जाने वाले देयक में से की जावेगी।
16. निविदाकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों को अनुशासन में रह कर कार्य करना होगा तथा वे संपूर्ण कार्यालय की सफाई के दौरान कक्षों या बाहर रखे अभिलेखों व उपकरणों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यदि किसी अभिलेख या उपकरण को क्षति पहुंचाना पाया गया तो हानि की वसूली निविदाकार स्व-सहायता समुह से की जावेगी तथा आवश्यक होने पर पुलिस कार्यवाही भी की जावेगी।
17. सफाई ठेका स्वीकृती दिनांक से तीन वर्ष अवधि के लिए होगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अनुबंध अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
18. निविदाकार अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि इस बीच निविदाकार द्वारा बीच में कार्य छोड़ा गया तो नये निविदा से जो लागत छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर को होगी उसकी क्षतिपूर्ति निविदाकार से की जायेगी।
19. निविदा स्वीकार करने या अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर को होगा तथा इसके विरुद्ध किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी और न ही कोई आपत्ति मान्य होगी।
20. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार स्व-सहायता समुह को राशि रु. 100/- के स्टाम्प पर छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।
21. उक्त निविदा में स्थानीय स्व-सहायता समुह को प्राथमिकता दी जाएगी।
22. उपरोक्त शर्तों के अनुसार समुह का कार्य संतोषजनक न होने पर अनुबंध समाप्त कर धरोहर राशि राजसात की जा सकेगी।
23. निविदा हेतु एक लिफाफा टेक्निकल बिड एवं एक पृथक लिफाफा फाईनेन्शियल बिड हेतु प्रस्तुत करें। टेक्निकल बिड लिफाफा में निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार वांछित दस्तावेज भरकर लिफाफे के उपर टेक्निकल बिड लिखना होगा। फाईनेन्शियल बिड लिफाफा में निर्धारित प्रारूप में राशि भरकर प्रस्तुत करना होगा एवं लिफाफा के उपर फाईनेन्शियल बिड लिखना अनिवार्य होगा।
24. निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व नवा रायपुर सेक्टर 19 स्थित **छत्तीसगढ़ संवाद भवन** के परिसर, सभी कमरे, हॉल, ऑडिटोरियम, टायलेट एवं बाथरूम, पार्किंग स्थल एवं सम्पूर्ण कार्यालय भवन का भौतिक अवलोकन अवश्य कर ले।
25. शौचालयों की सफाई में उच्चगुणवत्ता की लिक्विड सोप, फिनाईल गोलियां, फ्रेशनर, टॉयलेट पेपर रोल के प्रयोग के साथ उच्च गुणवत्ता की डिश इंफेक्टेड लिक्विड का प्रयोग किया जाना होगा, शौचालयों की सफाई प्रति घंटे के अंतराल में करनी होगी।
26. सभा कक्ष के साथ जिन कक्षों में कारपेट लगा हुआ है वहां वैक्यूम क्लीनर एवं शैम्पू से सफाई किया जाना होगा।
27. महिला शौचालयों की सफाई हेतु महिला सफाई कर्मी आवश्यक रूप से रखना होगा।
28. सभी सफाई कर्मी की ड्रेस में सफाई कर्मी अंकित हो जो स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिये।
29. छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय के कक्ष, बरामदे, छत, आंगन, शौचालयों, रेलिंग, गलियारों, सीढ़ियों, समस्त खुले परिसर सहित की साफ-सफाई प्रतिदिन दो बार करना होगा तथा दवाजे, खिड़कियों से धूल-जाले तथा पान-तम्बाखू के दाग भी हटाना होगा।

30. फर्मों को अब तक उनके द्वारा देय जीएसटी, ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा करने, कोई देय राशि बकाया न होने, एवं किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड न होने के संबंध में निर्धारित प्रारूप में रू. 50/- मात्र के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
31. किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर- प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।
32. निविदा जमा करने का आशय यह होगा कि उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ संवाद

अनुसूची-1

Floor	Room Name	No.	Area	unit	Total	Type of Flooring
Basement	Pump Room	1	64.58	sqm.	64.58	Concrete
	Ele. & maintenance Room	2	55.44	sqm.	110.88	Concrete
	Parking area	1	2960.00	sqm.	2960	Concrete
				Total	3135.46	
Ground	Porch	1	430.00	sqm.	430.00	Tiles
	Reception area	1	450.00	sqm.	450.00	Tiles
	Vigyapan shakha	1	90.00	sqm.	90.00	Tiles
	Green room	1	27.00	sqm.	27.00	Tiles
	VIP waiting	1	36.00	sqm.	36.00	Tiles
	Lobby	1	65.00	sqm.	65.00	Tiles
	Audi entry porch	1	55.00	sqm.	55.00	Tiles
	pantry	1	14.00	sqm.	14.00	Tiles
	DGM chamber	4	23.50	sqm.	94.00	Tiles
	GM chamber	2	23.50	sqm.	47.00	Tiles
	Guard room	1	32.50	sqm.	32.50	Tiles
	Godown	1	45.00	sqm.	45.00	Tiles
	Manager room	5	25.00	sqm.	125.00	Tiles
	Corridor (GF to 3rd floor)	4	165.00	sqm.	660.00	Tiles
	Corridor	1	250.00	sqm.	250.00	Tiles
	Auditorium (200-225 seats)	1	400.00	sqm.	400.00	Tiles
First	Library	1	90.00	sqm.	90.00	Tiles
	VP area	1	80.00	sqm.	80.00	Tiles
	Add. CEO	1	53.00	sqm.	53.00	Tiles
	Record room	1	27.00	sqm.	27.00	Tiles
	Accounts section	1	165.00	sqm.	165.00	Tiles
	CEO area	1	80.00	sqm.	80.00	Tiles
	Lobby and meeting room	1	24.00	sqm.	24.00	Tiles
	Chairman area	1	145.00	sqm.	145.00	Tiles
	Corridor (GF to 3rd floor)	1	180.00	sqm.	180.00	Tiles
Second	Establishment room	1	43.00	sqm.	43.00	Tiles
	Publishing section	1	190.00	sqm.	190.00	Tiles
	Publishing section expert/staff	1	105.00	sqm.	105.00	Tiles
	Creative Dir./GM prakashan	2	23.50	sqm.	47.00	Tiles
	Corridor	1	250.00	sqm.	250.00	Tiles
	Store	1	85.00	sqm.	85.00	Tiles
	Studio for TV	1	70.00	sqm.	70.00	Tiles
	Asst./Dy. Sampadak/staff	1	122.00	sqm.	122.00	Tiles
Third	Room	1	45.00	sqm.	45.00	Tiles
	Hall Left side	1	190.00	sqm.	190.00	Tiles
	Lift Right side	1	105.00	sqm.	105.00	Tiles
	Lift front lobby	1	65.00	sqm.	65.00	Tiles
Terrace	Canteen area	1	400.00	sqm.	400.00	Tiles
				Total	5381.50	
List of Toilets						
1	Ground Floor	8	Individual Toilets			
		3	Common Toilet block			
2	First Floor	4	Individual Toilets			
		2	Common Toilet block			
3	Second Floor	2	Individual Toilets			
		2	Common Toilet block			
4	Third Floor	2	Common Toilet block			

(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ-पत्र

मैं—संस्था प्रमुख निवासी—छग संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। हमारे स्व-सहायता समुह/फर्म द्वारा देय जीएसटी, ई.पी.एफ, ई.एस. आई.सी. अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छग संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

यह कि हमारी संस्था—किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेट (काली सूची) नहीं है।

स्थान _____
दिनांक _____

हस्ताक्षर
(पूरा नाम)
संस्था का नाम व मोहर

छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय की हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य हेतु निविदा प्रपत्र (फाईनेन्शियल बिड)

निविदा भावपत्र दर (मासिक) :-

(निम्न तीनों बिन्दुओं की लागत विवरण पृथक से मदवार, कर्मचारी वार, दरवार विवरण फाईनेन्शियल बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।)

क्र.	मद्	विवरण	एकमुश्त मासिक दर (जीएसटी अतिरिक्त)
1	सफाई सामग्री पर व्यय	छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय भवन एवं परिसर के साफ-सफाई सामग्री पर प्रतिमाह एकमुश्त व्यय राशि— (सफाई सामग्री झाड़ू, पोछा, फिनाईल, एसीड, टॉयलेट क्लीनर, ग्लॉस क्लीनर, जाला दाग धब्बों की सफाई, डस्टिंग आदि प्रतिमाह न्यूनतम निम्न मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराना होगा— ओडोनील 70 नग एसीड 40 लीटर फिनाईल 40 लीटर टॉयलेट क्लीनर 250 एमएल 23 नग ग्लॉस क्लीनर 100 एमएल 25 नग डामर गोलियां 1 कि.ग्रा. नियमित प्रतिदिन साफ-सफाई सुनिश्चित करनी होगी)	
2	सफाई कर्मचारी पर व्यय	छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय भवन एवं परिसर के साफ-सफाई हेतु सफाईकर्मी, स्वीपर, सुपरवाइजर हेतु एकमुश्त मासिक व्यय राशि—(साफ-सफाई हेतु कम से कम 15 सफाई कर्मी, 2 स्वीपर एवं 1 सुपरवाइजर उपलब्ध कराना होगा) (फर्म/समुह को शासन के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, लेबर एक्ट, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., दुर्घटना बीमा आदि समस्त प्रावधानों का पालन करना होगा) पृथक से सफाईकर्मी, स्वीपर एवं सुपरवाइजर हेतु मदवार मासिक दर विवरण संलग्न करना होगा।	
3	एजेन्सी का सर्विस चार्ज		
4	महायोग		

अभिचन :-

- (1) सफाई कर्मचारियों को फर्म/समुह की ओर से सफाई उपकरण (मशीन) एवं वर्दी उपलब्ध करायी जायेगी।
- (2) नवा रायपुर सेक्टर 19 में संवाद कार्यालय भवन परिसर, संलग्न अनुसूची-1 अनुसार, भूतल (2820.50 sqm), प्रथम तल (844 sqm), द्वितीय तल (912 sqm), तृतीय तल (405 sqm), छत (400 sqm), तहखाना (3135.46 sqm), टॉयलेट-बाथरूम (23 nos.) का भौतिक अवलोकन पश्चात साफ-सफाई कार्य से संबंधित मेन्टेनेन्स को ध्यान में रखते निविदा के नियम शर्तों का अवलोकन पश्चात उक्त दरें कोट की जा रही हैं। उच्च गुणवत्ता की साफ-सफाई सामग्रियों से कार्य संपादन किया जाएगा एवं फर्म/समुह द्वारा सामग्री की कमी न हो यह सुनिश्चित करना होगा।
- (3) एम्पलायर प्रोविडेंट फण्ड एवं ईएसआईसी अंशदान की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा मासिक देयक के साथ की जाएगी।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)
सील मुद्रा

हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य से संबंधित मेंटनेंस हेतु सेवा अनुबंध

छत्तीसगढ़ संवाद, छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ (पक्ष क्रमांक 01) एवं मेसर्स (पक्ष क्रमांक 02) द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय भवन एवं परिसर की साफ-सफाई (मेंटनेंस) कार्य हेतु दिनांक- / /2020 से दिनांक- / /2023 तक के लिए दोनों पक्षों की सहमति से निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुबंध किया जाता है :-

1. यह कि छत्तीसगढ़ संवाद (पक्ष क्र.01) के नवा रायपुर सेक्टर-19 में स्थित कार्यालय भवन एवं परिसर की हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) हेतु आवश्यक सामग्री के साथ साफ-सफाई कार्य मेसर्स(पक्ष क्रमांक 02) द्वारा निविदा क्रमांक दिनांक के तहत किया जाएगा।
2. यह कि पक्ष क्रमांक 01 के कार्यालय भवन परिसर की सम्पूर्ण सफाई के अंतर्गत भूतल (2820.50 sqm), प्रथम तल (844 sqm), द्वितीय तल (912 sqm), तृतीय तल (405 sqm), छत (400 sqm), तहखाना (3135.46 sqm), टॉयलेट-बाथरूम (23 nos.), समस्त कमरों, हाल, बरामदा, टायलेट, बाथरूम, लेट्रिन, वाशबेसिन, मूत्रालय, दरवाजे, खिड़कियां, वेन्टीलेटर, ग्रील्स, पार्टिशन सीलिंग, फर्नीचर, आलमारियां, रैक, पंखे सहित अन्य उपकरण, कार्यालय के चारों ओर का बाहरी क्षेत्र की नियमित साफ-सफाई का कार्य पक्ष क्रमांक 02 द्वारा स्वयं के साफ-सफाई सामग्री, उपकरण एवं साफ-सफाई कर्मियों से कार्य संपादन किया जाएगा।
3. यह कि सफाई कार्य के अंतर्गत झाड़ू, पोछा, धुलाई, डस्टिंग, जाला, दाग धब्बों की सफाई, ग्लास की सफाई, पंखे, कुर्सी-टेबल एवं अन्य आवश्यक साफ-सफाई का कार्य पक्ष क्रमांक 02 को करना होगा। सफाई में उपयोग होने वाले सामग्री उच्च क्वालिटी के सामग्री का इस्तेमाल किया जाना होगा एवं चयनित संस्था को सम्पूर्ण साफ-सफाई सुनिश्चित करना होगा।
4. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा समस्त सफाई कर्मियों पुरुष को गहरे नीले रंग की फुल पैट व हाफ शर्ट तथा महिला को गहरे नीले रंग की साड़ी एवं ब्लाउज/सलवार-सूट एवं खाकी रंग का एप्रिन की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर किया जाएगा।
5. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को सभी तरह की सफाई के लिए उपकरण, दुर्गन्धनाशक, कीटनाशक, एसिड, परफ्यूम, डिश इंफेक्टेड सामग्री इत्यादि सामग्री स्वयं के व्यय पर व्यवस्था करना होगा।
6. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को कार्यालय परिसर से निकलने वाले कचरें, कूड़ा करकट, मलमा इत्यादि को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित क्षेत्र/कन्टेनर में प्रतिदिन डालना होगा।
7. यह कि सफाई कर्मचारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पक्ष क्रमांक 02 की होगी। पक्ष क्रमांक 02 को सुरक्षा का समुचित इंतजाम करना होगा।
8. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा कार्यालयीन समय 10 बजे तक (सुबह 8.00 से 10:00 तक) सफाई का कार्य पूर्ण किया जाना होगा। तदुपरांत अपराह्न 04.00 बजे तक पुनः सफाई का कार्य सम्पादित करना होगा, इसके अलावा कार्यालयीन समय में आवश्यकतानुसार साफ-सफाई सुनिश्चित करना होगा। अवकाश के दिनों में कार्यालय की धुलाई, जाला, कचरा, मलमा इत्यादि की सफाई करना होगा।

9. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समस्त प्रचलित एवं समय-समय पर जारी नियमों, निर्देशों, आदेशों और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा जिसमें प्रचलित लेबर एक्ट, कर्मचारी भविष्य निधि, आयकर अधिनियम, दुर्घटना बीमा नियम सहित अन्य संबंधित समस्त नियमों का पालन एवं उसके अनुरूप अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा। कर्मचारियों के ईपीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी (पंजीयन हो तो) आदि वैधानिक देय राशि का भुगतान नियत समय के अंदर करना अनिवार्य होगा। भुगतान पश्चात साक्ष्य/ईसीआर चालान की प्रतियां प्रतिमाह छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद ही आगामी माह के देयकों का भुगतान किया जाएगा।
10. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को सफाई के कार्य में लगाये जाने वाले समस्त कर्मचारियों की फोटो सहित नाम, वर्तमान एवं स्थाई पता, संपर्क नंबर इत्यादि एवं चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से पक्ष क्रमांक 01 के कार्यालय में जमा करना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र सत्यापन आदि के उत्तरदायी चयनीत फर्म/समुह की होगी।
11. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को सफाई कार्य का निरीक्षण के दौरान एवं उपरांत दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उचित साफ-सफाई न होने पर अथवा किसी अधिकारी की शिकायत आने या निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में रु. 500/- (पांच सौ रु. मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड किया जावेगा। जिसकी कटौती भुगतान किये जाने वाले देयक में से की जावेगी।
12. यह कि पक्ष क्रमांक 02 के सफाई कर्मचारियों को अनुशासन में रह कर कार्य करना होगा तथा वे संपूर्ण कार्यालय की सफाई के दौरान कक्षों या बाहर रखे अभिलेखों व उपकरणों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यदि किसी अभिलेख या उपकरण को क्षति पहुंचाना पाया गया तो हानि की वसूली पक्ष क्रमांक 02 से की जावेगी तथा आवश्यक होने पर पुलिस कार्यवाही भी की जावेगी।
13. यह कि कार्य संतोषजनक पाए जाने पर साफ-सफाई सेवा अनुबंध अवधि में वृद्धि करने का अधिकार पक्ष क्रमांक 01 के पास सुरक्षित रहेगा।
14. यह कि पक्ष क्रमांक 02 अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि इस बीच पक्ष क्रमांक 02 द्वारा बीच में कार्य छोड़ा जाता है तो पक्ष क्रमांक 02 द्वारा जमा अमानत राशि को राजसात कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार पक्ष क्रमांक 01 के पास सुरक्षित होगा।
15. यह कि उपरोक्त शर्तों के अनुसार पक्ष क्रमांक 02 का कार्य संतोषजनक न होने पर पक्ष क्रमांक 01 को अनुबंध समाप्त कर धरोहर राशि राजसात करने का अधिकार होगा।
16. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को शौचालयों की सफाई में उच्चगुणवत्ता की लिक्विड सोप, फिनाईल गोलियां, फ्रेशनर, टॉयलेट पेपर रोल के प्रयोग के साथ उच्च गुणवत्ता की डिश इंफेक्टेड लिक्विड का प्रयोग किया जाना होगा, शौचालयों की सफाई प्रति घंटे के अंतराल में करनी होगी।
17. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को सभा कक्ष के साथ जिन कक्षों में कारपेट लगा हुआ है वहां वैक्यूम क्लीनर एवं शैम्पू से सफाई किया जाना होगा।
18. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को महिला शौचालयों की सफाई हेतु महिला सफाई कर्मी आवश्यक रूप से रखना होगा।
19. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को कक्ष, बरामदे, छत, आंगन, शौचालयों, रेलिंग, गलियारों, सीढ़ियों, समस्त खुले परिसर सहित की साफ-सफाई प्रतिदिन दो बार करना होगा तथा दवाजे, खिड़कियों से धूल-जाले तथा पान-तम्बाखू के दाग भी हटाना होगा।

20. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को कर्मचारी भविष्य निधि, ईएसआईसी, श्रम नियम, जीएसटी अधिनियम एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा एवं प्रतिमाह देय राशि नियत समय में जमा कर साक्ष्य/ईसीआर चालान की प्रतियां पक्ष क्रमांक 01 को उपलब्ध कराना होगा। भुगतान की पावती उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी माह के देयक का भुगतान पक्ष क्रमांक 01 द्वारा किया जाएगा।
21. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा उपलब्ध कराए गए महिला कर्मियों के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित संवैधानिक दायित्वों का पालन करना होगा।
22. यह कि व्यवहार में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।
23. यह कि किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर— प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

चेकलिस्ट

टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत की जाने वाली दस्तावेजों की सूची

1. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रु. 590/— का छत्तीसगढ़ संवाद के नाम से रायपुर में देय डीडी क्र..... दिनांक रु. 590/—
2. अमानत राशि रु. 50,000/— का छत्तीसगढ़ संवाद के नाम से रायपुर में देय डीडी क्र..... दिनांक रु. 50,000/—
3. शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) संबंधी कार्य अनुभव के साक्ष्य हेतु नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र एवं संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रतियां निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करना है।

क्र.	नियोक्ता (शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय) का नाम	सेवा अवधि (दिनांकसे.....तक कुल.....वर्ष)
------	---	---

4. वित्तीय वर्ष 2019-20 का चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित कम से कम रु. 25 लाख का वार्षिक टर्न ओव्हर प्रमाण-पत्र। टर्न ओव्हर प्रमाण-पत्र में हाउसकीपिंग(साफ-सफाई) कार्य के टर्न ओव्हर का उल्लेख होना अनिवार्य है।
5. एम्पलाईज प्रोविडेंट फण्ड पंजीयन की प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 की ईसीआर चालान की प्रतियां।
6. ईएसआईसी पंजीयन की प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 की ईसीआर चालान की प्रतियां।
7. लेबर एक्ट के तहत पंजीयन की प्रति।
8. लेबर लायसेंस की प्रति।
9. जीएसटी पंजीकृत फर्म/समुह को वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जमा जीएसटी रिटर्न की प्रतियां।
10. पेन कार्ड की प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 (कर निर्धारण वर्ष 2019-20) के जमा आयकर रिटर्न की प्रति।
11. निर्धारित प्रारूप में रु. 50/— के स्टॉम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र की मूल प्रति।
12. उपरोक्त क्रम में ही दस्तावेजों को टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा एवं वांछित दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना है।